संख्या–1/3/96–का–4–2009

प्रेषक,

अश्वनी कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांकः 15 अक्टूबर, 2009

विषयः–सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के संबंध में ।

महोदय,

सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्थानान्तरण नीति विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1/3/96–का–4–2009, दिनांक 6.6.2009 के प्राविधानों से पुलिस विभाग मुक्त रहेगा । उक्त निर्णय दिनांक 6.6.2009 से ही प्रभावी होगा ।

भवदीय,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव